गाँवों में बालिकाओं की समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन

(जयपुर जिले के श्योपुर गाँव का एक सामाजिक सर्वेक्षण)

✧ मंजू नावरिया

बालिकाओं के विषय में आदर्श रूप में हिन्दू समाज में नारी को प्यार, त्याग, शक्ति और सम्पत्ती का प्रतीक माना जाता जा रहा हैं। इस रूप में सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी की पूजा की जाती रही हैं इस समाज ने स्त्री को पुरुष का आधा हिस्सा माना हैं। परन्तु समय के बदलने के साथ–साथ हमारे समाज में स्त्रियों व बालिकाओं की दशा में सुधार लाने के लिये कई व्यापक प्रयास किये गये हैं। इसके लिये सार्क (SAARC) ने वर्ष 1990–2000 तक समय को ''बालिका–दशक'' घोषित किया हैं। इस दशक के दौरान भारत और आसपास के देश में बालिकाओं की स्थिति में सुधार लाने की चेष्टा की जायेगी। इसका कारण तो हर एक आदमी जानता होगा कि लड़कियों की तरफ इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा हैं। यह दुखद सत्य हैं कि लड़कियों की अवस्था लड़कों से बुरी हैं। गरीब परिवारों में तो लड़के व लड़कियों दोनों को ही पौष्टिक आहार नहीं मिलता हैं वो स्कूल नहीं जाते तथा जिस समय उन्हें खेलना–पढ़ना चाहिये, वे परिश्रम करते हैं। सम्पूर्ण देश के आकड़ों से पता चलता है कि लड़कियाँ लापरवाही से अधिक मरती हैं। अधिकतर लड़कियाँ कुपोषित, व अशिक्षित हैं। और उन्हें लड़के की अपेक्षा कठिन परिश्रम भी अधिक करना पड़ता हैं।

मैंनें एक स्त्री, एक लड़की, होने के नाते यह जानने का प्रयास किया है कि हमारे देश,गाँवो में महिलाऐं, लड़कियाँ अपने परिवारों के प्रति कितनी सजग हैं ? क्या उन्हें वास्तव में वे सभी अधिकार मिल पाये हैं जो एक नारी के लिये वांछित हैं? क्या स्वतन्त्रता के 60 वर्षों के बाद भी समाज में तथा परिवार में नारी को उचित स्थान मिल पाया हैं ? उन्हें निर्णय लेने या अपने भविष्य के प्रति राय लेने की स्वतन्त्रता है या नहीं, इन सभी का उत्तर प्राप्त करने के लिये ही यह अध्ययन किया गया हैं।

अध्ययन समस्या–''गांवो में बालिकाओं की समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' इसका तात्पर्य बालिकाओं से सम्बन्धित उन सभी समस्याओं से हैं जो बालिकाओं के विकास में बाधक बनते हैं। बालिकाओं के विकास में आने वाली बाधाऐं मुख्य रूप से शिक्षा,पारिवार, समाज व आर्थिक स्थिति से जुड़ी रहती हैं क्योंकि प्राचीन काल से यह धारणा चली आ रहीं है कि लड़कियों को पढ़–लिखकर क्या करना हैं, उन्हें तो बस घर गृहस्थी में ही अपना जीवन गुजारना हैं, लेकिन लड़कों को पढ़–लिखकर नौकरी करनी है, पैसा कमाना हैं। इसी प्रकार लड़कियों की परिवार में कोई सजगता नहीं होती और दहेज जैसी कुरीतियों के कारण तो लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं। ऐसी समस्यायें लड़कियों के विकास में आने वाले बाधक तत्व हैं।

अध्ययन का उद्देश्य–अध्ययनकर्ता का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की समस्याओं के बारे में जानना है कि बालिकाओं की समस्याऐं किस–किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, माता–पिता उनकी समस्याओं को कितना समझते हैं और कितना उनकी सहायता करते हैं।

(1) बालिकाओं की सामाजिक व पारिवारिक समस्यायें :–बालिकाओं को समाज व परिवार में निम्न सम्मान क्यों दिया जाता हैं ? क्योंकि शुरू से ही लड़की को बोझ समझा जाता हैं, अभिशाप मानकर उसे लोग जल्द से जल्द शादी कर छुटकारा पाना चाहते हैं, बालिकाओं के बारे में समाज की क्यों यह धारण बन गई हैं कि लड़कियाँ सिर्फ शादी कर घर गृहस्थी ही संभालती है और घर की चार दीवारी में ही मर जाती हैं। ऐसी लोगों की सोच क्यों हैं ? यही जानना हमारा उद्देश्य हैं।

(2) शैक्षणिक समस्यायें :–बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा बालकों से पीछे ही क्यों रहना पड़ता हैं? क्या वे शिक्षित होकर आत्मनिर्भर नहीं हो सकती हैं ? क्योंकि लड़कियों को हमेशा बोझ समझा जाता हैं जबकि लड़के को बुढ़ापे का सहारा।

(3) स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें :–बालिकाओं के स्वास्थ्य से सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करना भी अध्ययनकर्ता का उद्देश्य है कि क्यों लड़कों को हमेशा अच्छा और पौष्टिक भोजन दिया जाता हैं ? क्यों बालिकाओं को अधिक परिश्रम करने के बावजूद कम भोजन दिया जाता हैं ? क्यों बीमार होने पर लड़की को ढंग की चिकित्सा नहीं दी जाती है जबकि लड़कों का इलाज कर्ज लेकर भी किया जाता हैं।

(4) बालिकाओं की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझना :–बालकों को हमेशा से ही बालिकाओं की तुलना में अधिक महत्त्व दिया जाता रहा हैं, वह अपने ही लोगों से घृणा करने लगती हैं। जबकि परिवार में बालिकाऐं बालकों की तुलना में घर में आर्थिक सहायता के लिये माता–पिता के काम में हाथ बंटाती हैं और उनका भाई सिर्फ खेलता और पढ़ता हैं। जिससे लड़कियों में स्वयं के प्रति भी हीन भावना आ जाती हैं।

अधययन का क्षेत्र :–राजस्थान विश्वविधालय से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर एक श्योपुर गाँव है, इस गाँव में ''बालिकाओं की समस्याओं'' से सम्बन्धित अध्ययन करने के लिये कई परिवारों का सामाजिक सर्वेक्षण के रूप में समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया हैं। इस गाँव की जनसंख्या लगभग 5000 है। यहाँ चिकित्सा के लिये एक डिस्पेन्सरी है, विद्या अध्ययन करने के लिये दो विद्यालय हैं, बालिकाओं के लिए प्राइमरी व बालकों के लिये एक मिडिल स्कूल हैं। यहाँ पानी बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

प्राध्यापक, समाजशास्त्र, राज. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बहरोड़ (अलवर)

अध्ययन पद्धति :–किसी भी समस्या या विषय का अध्ययन तभी सफल संभव हो सकता है जबकि उनके पीछे कोई स्पष्ट पद्धति उपस्थित हो। पद्धति से तात्पर्य है किसी विषय या समस्या का अध्ययन करने के लिये हमारे द्वारा अपनाई गई सुव्यवस्थित विधि से हैं। श्योपुर गांव में ''लड़कियों की समस्याओं'' का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिये हमने मुख्य विधियाँ अपनाई है जो निम्न हैं :–1 अवलोकन 2 साक्षात्कार 3 अनुसूची

अवलोकन विधि अनुसंधान की प्राचीन व सर्वाधिक प्रचलित प्रविधि हैं, इसका प्रयोग प्राचीन काल से ज्ञान की खोज में सर्वाधिक किया जा रहा है इसलिये इसे वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति भी कहते हैं। अवलोकन प्रविधि में अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है, सुनता है तथा सामग्री व तथ्य संकलित करता हैं। अर्थात अवलोकन प्रविधि में अनुसंधानकर्ता अपनी ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग करता हैं। साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण के अन्तर्गत तथ्य संकलन करने की एक प्रमुख प्रविधि है। सामान्यतः दैनिक जीवन में जब हम ''साक्षात्कार अथवा इण्टरव्यू'' शब्द का प्रयोग करते है तो हमारा तात्पर्य होता है किसी अधिकारी से मिलना, किसी नौकरी हेतु अथवा प्रशिक्षिण देने वाली संख्या में प्रवेश हेतु प्रत्याशियों की योग्यता, कार्यकुशला एवं क्षमता की जाँच करना है। परन्तु समाजशास्त्रीय दृष्टि से साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता के मध्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आमने–सामने की स्थिति में वार्तालाप अथवा प्रत्युतर होता हैं।

हमने अपने अध्ययन समस्या से सम्बन्धित तथ्यों या सामग्री के संकलन के लिये अनुसूची का प्रयोग किया है। क्योंकि सूचियाँ कई प्रकार की होती हैं अतः हमने साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया है। अनुसूची तथ्यों के संकलन की प्रमुख विधि हैं। अनुसूची विधि को अपनाने से अनुसंधानकर्ता, सूचनादातों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करता है। जिससे वह सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है, अनुसूची के माध्यम से प्राप्त सूचनायें, तथ्य, ठोस प्रमाण व सत्यापनशीलता को दर्शाते हैं। अनुसूची के माध्यम से अध्ययनकर्ता आवश्यकता से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता हैं। अनुसूची विधि में अलग–अलग ईकाईयों का अध्ययन करने के साथ–साथ अवलोकन कर अनुसूची के द्वारा शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार के उत्तरदाताओं या सूचनादाताओं से सामग्री संकलित कर सकते हैं। इस प्रकार प्रश्नावली की तुलना में अनुसूची अधिक महत्वपूर्ण है अतः हमने अनुसूची विधि का ही प्रयोग किया हैं।

अध्ययन का क्षेत्रीय विवेचन–उत्तरदाताओं से संकलित तथ्यों का विश्लेषण:–

(1) आयु समूह आधार पर :–प्रस्तुत अध्ययन में हमने 60 उत्तरदाताओं में से तथ्य संग्रह करने के लिये साक्षात्कार एवं अनुसूची व असहयोगी अवलोकन का प्रयोग किया है। उत्तरदाताओं में से 25–35 वर्ष की आयु के उत्तरदाता अपेक्षा.त अधिक थे जबकि 5–15 वर्ष व 35–45 वर्ष के उत्तरदाता समान संख्या में थे। जबकि 45–55 वर्ष के केवल दो ही उत्तरदाता थे। इसको तालिका संख्या 1 से अच्छी तरह समझ सकते है।

(2) लिंग के आधार पर :–प्रस्तुत अध्ययन में 60 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार किया। जिसमें जानकारी देने वालों में 15 प्रतिशत पुरुष व 85 प्रतिशत महिलायें है। (देखें तालिका संख्या 2)

(3) जाति के आधार पर :– प्रस्तुत अध्ययन में 60 उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि श्योपुर गांव में मिली–जुली जातियाँ रहती है वहाँ ब्रह्मण व मीणा, कुम्हार जाति के लोग सर्वाधिक है परन्तु इन सभी जातियों में अभी ऊँच–नीच का भेद पाया जाता है। (देखें तालिका संख्या 3)

(4) आय के आधार पर (आर्थिक स्थिति) :–प्रस्तुत अध्ययन के उपरान्त 60 उत्तरदाताओं से जो आय सम्बन्धित तथ्य एकत्रित किये गये उनके अनुसार 24 उत्तरदाता ऐसे थे जिसकी मासिक आय 1000–2000 रु. के बीच थी, जबकि छः उत्तरदाताओं की आय 6000–7000 हजार रु.के बीच थी और जो नौकरी करते थे उनकी आय 4000–5000 के बीच थी। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं की आय इतनी कम है कि घर का खर्च सही ढंग से नहीं चल पाता है। अतः उनकी आर्थिक आय स्थिति निम्न है जिनके कारण अधिकांश बालिकाएें तथा महिलाऐं चाहती है कि यहाँ ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें जहाँ जाकर वे कुछ कार्य सीख सकें और अपनी आय बढ़ा सकें। (देखें तालिका संख्या 4)

(5) पारिवारिक एवं वैवाहिक स्थिति :–हमनें अध्ययन के लिये जिन परिवारों का चयन किया हैं उनमें 40 प्रतिशत संयुक्त थे और 60 प्रतिशत एकांकी परिवार थे। जो संयुक्त परिवार थे उसमें बुजुर्ग के साथ उनके बेटे–पोते रहते हैं जबकि एकांकी परिवार में माता–पिता एवं उनकी संतानें रहती हैं । हमने जिन उत्तरदाताओं का चयन किया हैं उसमें 85 प्रतिशत महिलायें और 15 प्रतिशत पुरुष है जिन महिलाओं का परिवार में मध्यम स्थान था उसके विचार के अनुसार लडकियों को लड़कों के बराबर हक मिलना चाहिये जबकि निम्न स्थान रखने वाली महिलाओं का कहना है कि लड़कियों को पढ़लिखकर क्या करना हैं। उन्हें घर गृहस्थी के गुण सीखने चाहिये। जो संयुक्त परिवार थे उनमें वृद्धों के अनुसार लड़की का स्थान लड़कों की तुलना में निम्न है जबकि एंकाकी परिवार वाले उत्तरदाता अपनी लड़की को भी पढ़ा लिखाकर आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। (देखें तालिका संख्या 5)

(6) शिक्षा के आधार पर :– प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाता का साक्षात्कार किया गया तथा उनके शिक्षा स्तर का अध्ययन किया गया। अध्ययन के उपरान्त जो तथ्य निकले वो सारणी के अनुसार निम्न है–(देखें तालिका संख्या 6)

(7) लड़कियों के शिक्षा के पक्ष अथवा विपक्ष में विचार :–श्योपुर गांव में लड़कियों को शिक्षित करने के प्रश्न पर प्राप्त तथ्यों के आधार पर 65 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को शिक्षा देने के पक्ष में हैं जबकि 35 प्रतिशत उत्तदाता ऐसे है जो लड़कियों की शिक्षा के विपक्ष में हैं।

उत्तदाताओं से साक्षात्कार के बाद प्राप्त संकलित तथ्यों से यह जानकारी मिली है कि 75 प्रतिशत उत्तदाता अभी भी ऐसे हैं जो लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देना चाहते हैं। (देखें तालिका संख्या 7 व 8)

(8) लड़कियों को बोझ समझने के पक्ष व विपक्ष में उत्तरदाताओं के विचार :—सारणी में संकलित तथ्यों से पता चलता है कि 60 प्रतिशत लोग लड़कियों को बोझ व 40 प्रतिशत लोग लड़कियों को पूंजी मानते हैं। (देखें तालिका संख्या 9)

(9) लड़कियों व लड़कों की तुलना स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने के पक्ष में और विपक्ष में :—सारणी से स्पष्ट होता है कि 40 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो लड़कियों के बीमार होने पर उन्हें पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने के विपक्ष में हैं। (देखें तालिका संख्या 10)

(10) लड़कियों के विवाह में दिये जाने वाले दहेज के बारे में लोगों के विचार :—श्योपुर गांव में दहेज सम्बन्धी लोगों की मान्यता के बारे में जो तथ्य संकलित किये गये हैं उनके अनुसार 40 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे थे जो दहेज को आवश्यक मानते हैं चाहे वे गरीब हों या अमीर, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों की मान्यता हैं कि उच्च तथा धनवान परिवार में लड़की के विवाह की आकांक्षा हर माता–पिता की होती है अतः वे अपनी लड़कियों को सुखी व सम्पन्न रखने के लिए लड़के वालों की हर माँग को पूरा करते हैं जो इनकी नजर में दहेज हैं। (देखें तालिका संख्या 11)

तालिका सं. 1 (आयु–समूह)

आयु वर्गान्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
5–15	9	15
15–25	15	25
25–35	21	35
35–45	3	15
45–55	3	5
55–65	3	5
कुल योग	**60**	**100**

तालिका सं. 2 (लिंग समूह)

लिंग	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
पुरुष	9	15
महिलायें	51	85
कुल योग	**60**	**100**

तालिका सं. 3

जाति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
ब्राह्मण	15	25
राजपूत	6	10
कुम्हार	9	15
धोबी	3	5
माली	3	5
बनिया	9	15
खटीक	9	15
मीणा	6	10
कुल योग	**60**	**100**

तालिका सं. 4

मासिक आय (रु. में)	परिवारों की सं.	प्रतिशत
1000–2000	24	40
2000–3000	6	10
3000–4000	9	15
4000–5000	9	15
5000–6000	6	10
6000–7000	6	10
कुल योग	**60**	**100**

तालिका सं. 5

परिवारों का प्रकार	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
एकांकी	36	60
संयुक्त	24	40
कुल योग	**60**	**100**

तालिका सं. 6

शिक्षा का स्तर	उत्तरदाताओं की सं.	प्रतिशत
निरक्षर	21	35
साक्षर	9	15
प्राथमिक (1 से 5 तक)	15	25
माध्यमिक (6 से 10 तक)	6	10
उ.मा. (10 से 12 तक)	6	10
स्नातक	3	5
कुल योग	**60**	**100**

तालिका सं. 7

शिक्षा की स्थिति में विचार	उत्तरदाताओं की सं.	प्रतिशत
पक्ष में	39	65
विपक्ष में	21	35
कुल योग	**60**	**100**

तालिका सं. 8

विवाह की आयु (वर्ष)	उत्तरदाताओं की सं.	प्रतिशत
12से 17	45	75
18 से 23	15	25
कुल योग	**60**	**100**

तालिका सं. 11

दहेज की मान्यता	उत्तरदाताओं की सं.	प्रतिशत
पक्ष	24	40
विपक्ष	36	60
कुल योग	**60**	**100**

तालिका सं. 9

लड़कियों के सम्बन्ध में मत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
बोझ	36	60
पूंजी	24	40
कुल योग	**60**	**100**

तालिका सं. 10

लड़कियों को उपचार देने के सम्बन्ध में	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
पक्ष में	36	60
विपक्ष में	24	40
कुल योग	**60**	**100**

दहजे को लोग सामाजिक प्रथा मानते हैं। बहुत से लोग तो इसलिए दहेज देते हैं क्योंकि उनके पूर्वज भी इस प्रथा को मानते आयें हैं। अतः अगर वे दहेज नहीं देगें तो पूर्वज के मान–सम्मान को आघात लगेगा। कई लोग तो केवल समाज में अपनी सामाजिक व आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए चाहें उन्हें कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। कई लोगों की मान्यता है जब तक लड़की के विवाह में कन्यादान के साथ दहेज नहीं दिया जायेगा उन पर चढ़ा हुआ लड़की रूपी भार या श्राप नहीं उतरेगा। जबकि लोग जानते हैं दहेज के कारण ही समाज में लड़की का स्तर गिरता जा रहा हैं। लड़कियों की संख्या घटती जा रही हैं, बाल–विवाह बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी लोग सम्भलने को तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ 60 प्रतिशत उत्तरदाता

ऐसे थे जो कि दहेज को लड़की व समाज दोनों के लिए एक अभिशाप मानते हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि दहेज के कारण ही लोग लड़की के जन्म पर दुःखी होते हैं। दहेज को ये जरूरी नहीं मानते हैं क्योंकि जो चीज समाज को विषमय बना रही है उसे खत्म करना ही अच्छा है।

अध्ययन का निष्कर्ष—अध्ययनकर्ता के अध्ययन द्वारा प्राप्त संकलित तथ्यों के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं :—

गाँव में 60 प्रतिशत लोग ऐसे थे जिनके द्वारा लड़कियों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाता हैं और उन्हें सुलझाने में मदद की जाती हैं जबकि 40 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो संयुक्त हैं वहाँ लड़कियों की समस्याओं पर ध्यान न देकर लड़कों की जरूरतों पर ध्यान देकर पहले उन्हें पूरा किया जाता हैं। अधिकतर लड़कियाँ जो सामान्य वर्ग में आती हैं उनकी शिक्षा पर तो ध्यान दिया जाता हैं लेकिन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति में लड़कियों पर अपेक्षा.त कम ध्यान दिया जाता हैं। क्योंकि एस. टी. व एस. सी. की लड़कियां परिवार की आर्थिक स्थिति में सहायता करने के लिए माता—पिता के काम में हाथ बटाती हैं, मां काम करने जाती है तो घर व छोटे भाई—बहिनों को संभालती हैं, जिससे उन्हें पढ़ने व खेलने का समय नहीं मिल पाता है और समय मिले तो भी माता—पिता आर्थिक तंगी के कारण लड़कों को ही पढ़ा पाते हैं।

समाज व परिवार दोनों में लड़की को बोझ समझ जाता हैं जिसका कारण है समाज में दहेज जैसे दानव के बढ़ते हाथ। लेकिन फिर भी 40 प्रतिशत लोग ऐसे है जो अपनी लड़की को बोझ नहीं समझते बल्कि बुढ़ापे का सहारा मानते हैं। 60 प्रतिशत लोगों का मनना हैं कि लड़कियों का अधिकार सिर्फ घर और उसकी चार दीवार तक ही सीमित हैं उसका काम केवल बच्चे पैदा करना हैं और गृहस्थी सम्भालना ही है जबकि 40 प्रतिशत लोगों का मानना हैं कि लड़कियाँ भी पढ़—लिख कर लायक बन सकती हैं। और पुरूषों के बराबर परिवार व देश की उन्नति में सहायक हो सकती हैं।

मेरी निजी राय है कि सारे संकलित तथ्यों और प्रतिवेदनों व समाज की परिस्थितियों को देखने के पश्चात् हम यह कह सकते हैं कि चाहे संविधान के द्वारा हम बालिकाओं व महिलाओं को कितने ही अधिकार प्रदान कर दे उनकी समस्याओं को कितना ही बढ़ा—चढ़ा कर विवेचित कर दे या कितने ही आयोग इसकी समस्याओं को लेकर बना दिये जाये, परन्तु जब तक मनुष्य की सोच में, उसके विचारों में मूलभूत परिवर्तन नहीं होगें, जब तक उसमें अपने बडप्पन का अहम् होगा तब तक इन समस्याओं का समाधान पूणरूपेण शायद हम नहीं कर पायेगें ।

आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि बहुत उच्च शिक्षित परिवार भी बालिकाओं को बोझ ही समझते हैं मानाकि वो उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं परन्तु फिर भी उनका विवाह कर जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त होने के लिए प्रेरित रहते हैं अतः यह आवश्यक है कि हर माता—पिता के विचारों में मूलभूत परिर्वतन हो तभी बालिकाओं की समस्याओं समाप्त हो सकती हैं ।

सुझाव :—लड़कियों को समाज में लड़कों के बराबर अधिकार मिलें। लड़कों के समान भोजन, शिक्षा, परिवार में सम्मान और स्नेह मिले तो समाज में व्याप्त लड़कियों की समस्यायें स्वतः सुलझ जायेगी। लड़कियों की समस्याओं को समझने और उन्हें दूर करने के कुछ उपाय किये जा सकते हैं। जो निम्न हैं :—

माता—पिता लड़की को बोझ समझते हैं इसका मुख्य कारण है आज समाज में दहेज जैसे दानव के बढ़ते हाथ। जो लोगों को बेटी को बोझ समझने पर मजबूर कर रहे हैं अतः अगर लड़कियों की समस्या खत्म करनी हैं तो समाज मे से दहेज प्रथा को हटाना होगा।

लोग लड़की को पराई समझते हैं और लड़को को बुढ़ापे का सहारा। जबकि अगर लड़की को भी शिक्षा दी जाये तो वह भी आत्मनिर्भर होकर माता—पिता का सहारा बन सकती हैं। और लड़के से कहीं अधिक क़ाबिल साबित हो सकती हैं।

लड़कों को लड़कियों के बराबर पौष्टिक आहार देना चाहिए बल्कि उससे अधिक क्योंकि लड़कियाँ घर के काम के अतिरिक्त रोजी कमाने के काम में भी माता—पिता का साथ देती हैं। जो माता—पिता घर से बाहर काम करने जाते हैं उनको चाहिए कि वे घर का सारा भार व छोटे भाई—बहिन की जिम्मेदारी अकेली लड़की पर नहीं डाले। क्योंकि एक बालिका स्वयं एक बच्ची होती है और सारा काम अकेले ही नहीं कर सकती हैं लेकिन यदि प्रारम्भ से ही लड़कों से भी घर के काम में मदद ली जाये तो काम जल्दी हो जायेगा और लड़कियां भी पढ़ने जा सकेंगी, खेल सकेंगी आदि। क्योंकि खेल और शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिससे कि बच्चों का सामाजिक, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास होता हैं।

लड़कियों को भी लड़कों के समान अधिकार देने चाहिए। वे भी स्वतन्त्र भारत की एक स्वतन्त्र नागरिक हैं। ऐसा समझना तभी सम्भव हो पायेगा जब हर आदमी यह जान ले कि—"बेटियाँ भी हमारी सन्तान हैं, उनको भी जीने का अधिकार हैं।"

एक कथन :—वेदों ने मनुष्य से पूछा : तुम कौन हो ? किसके लिये हो ? अगर यही प्रश्न आज नारी के अस्तित्व से पुरूष दोहराये तो, वह जान जायेगा कि जिसे वह बोझ समझता जिसका वह शोषण करता है वो उसी का एक अंश हैं।

सन्दर्भ :—

1. भारतीय समाज एवं संस्कृति : रवीन्द्रनाथ मुखर्जी
2. भारतीय समाजिक व्यवस्था : राम आहुजा
3. समाजशास्त्रीय अनुसंधान तर्क और विधियाँ : लवानिया एवं शशि के. जैन
4. योजना : मई 1998, दिसम्बर 1995, जनवरी 1997, जुलाई 1998, नवम्बर 1998